न्यायालय, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मंझौल, बेगूसराय
परिवाद संख्या – 12 सी/2020

सरमदा देवी बनाम् राज कुमार महतो वगैरह

दिनांक 03.03.2021

अभिलेख आज आदेश हेतु निश्चित है। परिवादी द्वारा समयावेदन न्यायालय में दाखिल किया गया। वाद पुकार पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए ।

आदेश

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सम्मन के बिन्दु पर सुना। परिवादी ने यह केस राज कुमार महतो, राहुल कुमार, बबीता कुमारी, ज्योति सिन्हा, पूजा कुमार, हरि देवी, ललीता देवी पर किया है। परिवादी का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 21.01.2020 समय 01:00 बजे दिन में परिवादिनी के बारी में जलावन रखा हुआ था तथा भैंस बांधी हुई थी। सब लोग आएं मारपीट कर भैंस की रस्सी काट कर भगा दिए। बोले कि हरामजादी जलावन क्यों उठा रही हैं। सभी मेरा बाल पकड़कर पटक दिए। लाठी–सोटा से मारे। मैं हल्ला की तो मेरी पतोहू सावित्री देवी बचाने आई, तो राहुल कुमार ने उसका बाल पकड़कर पटक दिया तथा उसके गले से दो भरी सोने का चैन ज्योति सिन्हा ने खींच लिया। ललीता देवी और मेरा चांदी का हंसूली खींच कर भाग गई। सभी मुदालय घर में घुसकर बक्सा का ताला तोड़कर उसमें रखा हुआ अटैची ले लिया, जिसमें तीन हजार रूपया, कपड़ा, सोना, चांदी का जेवर एवं कीमती कागजात था, ले लिया। आगे कहते हैं कि परिवादी ने अपने मामले के समर्थन में चार जांच साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिन्होंने परिवादी के मामले का पूर्णरूप से समर्थन किया है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अभियुक्तों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा – 147, 323, 379, 380, 504/34 के अंतर्गत सम्मन निर्गत करने की कृपा करें।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी का सशपथ बयान एवं चार जांच साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष कराया गया है। जिन्होंने परिवादी के मामले का समर्थन किया है। किन्तु परिवादी ने अपने सशपथ बयान एवं जांच साक्षियों ने अपने जांच साक्ष्य में न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्न में कहा है कि ज्योति सिन्हा की शादी समस्तीपुर में हुई है और वह अपने ससुराल में ही रहती है। परिवादी के सशपथ बयान एवं जांच साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर यह न्यायालय परिवाद पत्र में नामित अभियुक्तों क्रमशः 1. राज कुमार महतो, 2. राहुल कुमार, 3. बबीता कुमारी, 4. पूजा कुमार, 5. हरि देवी, 6. ललीता देवी के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा – 147, 323, 379, 504 के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त आधार पाती है।

अतः परिवादी को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 15.03..2021. तक समन की अपेक्षिताएं न्यायालय में दाखिल करे।

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी
मंझौल, बेगूसराय